# फर्द अहकाम

**बनाम**

न्यायालय

संख्या

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 22/8/25 | पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज... में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/8/25 को पेश हो। | |
| | 27/8/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. 1, व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी 1 व 2 का जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 29/8/25 पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |
| | 29.08.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्रांम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 244, 245, 246, 247, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 534/613, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 554, 555, 558, 559, 560, 563, 598, 600, 601, 602, 603 कुल किता 33 कुल रकबा 4.88 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांकः भू0अ0/2020/3071 दिनांक 23.10.2020 की पालना में 11.11.2020 को जरीब चलाकर खसरा नम्बर 549, 540, 554, 555, 558, 559, 560, 563 का सीमाचिन्ह कायम कर सीमाज्ञान करवाया गया। शेष खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान करने हेतु खातेदारो द्वारा मना किया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।<br>लगातार<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

# फर्द अहकाम

[illegible] बनाम ग्यारसीलाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 67/22

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | लगातार 29.08.2025 | बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.11.2020 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बावत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।<br><br>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बावत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 549, 540, 554, 555, 558, 559, 560, 563 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 11.11.2020 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |